राष्ट्रीय विकास परिषद
की
56वीं बैठक में

प्रेम कुमार धूमल

मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश का

भाषण

शनिवार, 22 अक्तूबर,2011

नई दिल्ली

राष्ट्रीय विकास परिषद की 22 अक्तूबर, 2011 को निर्धारित 56वीं बैठक में श्री प्रेम कुमार धूमल, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश का भाषण ।

	1.	माननीय प्रधान मन्त्री महोदय, केन्द्रीय सरकार के मन्त्रीगण, उपाध्यक्ष, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्माननीय सदस्य ।
	2.	12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र **(Approach Paper)** पर चर्चा हेतु आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की 56वीं बैठक में भाग लेकर मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ ।
भारतीय अर्थव्यवस्था	3.	12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए तीव्र, सतत् एवं अधिक समावेशी विकास **(faster, sustainable and more inclusive growth)** को लक्षित करने के लिए मैं भारत सरकार एवं योजना आयोग की सराहना करता हूँ । दृष्टिकोण पत्र में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9 से 9.5 प्रतिशत वृद्धि दर प्रस्तावित है और यह लक्ष्य सभी के सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है । वैश्विक मन्दी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो मजबूती दिखाई है उसे हमें और पुष्ट करने की आवश्यकता है । 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र ने जनसाधारण में बहुत सी आकांक्षाओं को जगा दिया है जिन्हें पूरा करने के लिए हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा । प्रस्तावित वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए हमें संस्थागत ढांचे में निवेश एवं मानव संसाधनों की उत्पादकता में

		सुधार लाने के लिए कारगर प्रयास करने होंगे । हमें निवेश मित्र वातावरण का सृजन करने तथा निवेश में बाधा बनने वाली नीतियों पर पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास दर निरन्तर तथा समावेशित हो, हमें केन्द्र एवं राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है । क्योंकि राज्यों की समेकित विकास दर ही अन्तोतगत्वा राष्ट्रीय विकास दर बनती है । माननीय प्रधान मन्त्री महोदय, हमें देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों को और अधिक वित्तीय स्वायतता प्रदान करने की जरूरत है ताकि वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें । ऐतिहासिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को केन्द्रीय सहायता परियोजनाओं, **flagship** कार्यक्रमों तथा अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित कार्यक्रमों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाते हैं । वित्तीय संसाधनों पर तो केन्द्र सरकार का नियन्त्रण रहता है जबकि ज्यादातर सेवाएं प्रदान करने का दायित्व राज्य सरकार पर है । 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों को अधिक **untied** वित्तीय संसाधन हस्तांतरित करके इस असंतुलन को ठीक करने की आवश्यकता है । इस संदर्भ में, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं की संख्या में कमी की जाए क्योंकि ये परियोजनाएं राज्य सरकार के वित्तीय दायित्वों में बढ़ौतरी कर रही हैं । प्रारम्भ में यह परियोजनाएं कम राज्य अंशदान द्वारा लागू की

		जाती हैं लेकिन बाद में अधिक अंशदान का वित्तीय भार राज्य सरकारों को वहन करना पड़ता है । इसका उदाहरण सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के रूप में हमारे समक्ष है । जहां एक तरफ तो ''केन्द्रीय वित्त आयोग'' राज्यों के वेतन दायित्व पर प्रतिबन्ध लगाता है वहीं दूसरी तरफ केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं राज्यों की वेतन देनदारियां बढ़ा रही है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं 'प्रक्रिया' आधारित नहीं होनी चाहिए अपितु इनका उद्देश्य परिणामोन्मुखी **(outcome based)** होना चाहिए तथा इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना चाहिए । इन योजनाओं के निष्पादन में बेहतर कार्य करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि उनकी वित्तीय सहायता में कमी करनी चाहिए । मैं, इस अवसर पर विशेष श्रेणी राज्यों के बीच केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के वित्त आबंटन की असमान प्रणाली का मामला भी उठाना चाहूंगा । वर्तमान में उत्तर –पूर्वी राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं में 90:10 के अनुपात में धनराशि प्रदान की जाती है, जबकि उत्तर – पश्चिमी राज्यों को इस आधार पर धनराशि नहीं दी जाती । मेरा अनुरोध है कि सभी विशेष श्रेणी राज्यों को इन परियोजनाओं में एक समान 90:10 के अनुपात में धनराशि प्रदान की जानी चाहिए । इस संदर्भ में हम बड़ी उत्सुकता से चर्तुवेदी समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे हमें आशा है कि इस विसंगति का समाधान हो

		जाएगा ।

विशेष श्रेणी राज्य	4.	माननीय प्रधान मन्त्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में विशेष श्रेणी राज्यों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । जैसा कि आपको विदित है, पहाड़ी राज्यों की समस्याएं अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग होती हैं । इसलिए इन राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे अपना विकास सुनिश्चित कर सकें । वर्ष 2009 में पश्चिम हिमालयी राज्यों ने एक **Common Base Paper** योजना आयोग को प्रस्तुत किया था । मैं अनुरोध करूंगा कि योजना आयोग **Common Base Paper** में दी गई सिफारिशों को 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन राज्यों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रदान करवाकर पूर्ण करे । Common Base Paper में उठाए गए मूल मुद्दे निम्न हैं :- • पर्वतीय राज्यों द्वारा पर्यावरण सेवाएं **(Eco Services)** प्रदान करने पर अवसर लागत **(Opportunity Cost)** की एवज में पर्वतीय राज्यों को उचित मुआवजा **(compensation)** प्रदान किया जाए । • सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में संरचनात्मक परिसम्पत्तियों का निरन्तर निर्माण, उन्नयन एवं रख-रखाव के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ।

		• सभी पश्चिमी हिमालय पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की अवधि बढ़ाई जाए । • केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्वतीय राज्यों में पैदा की जाने वाली पन-बिजली पर उत्पादन शुल्क लगाने की अनुमति दी जाए तथा निशुल्क ऊर्जा **royalty** में वृद्धि की जाए । • पहाड़ी राज्यों की विशेष भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत अधोसरंचना के विकास व सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के निर्माण लागत के निर्धारित मापदण्डों में वृद्धि की जाए । • गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की पहचान के लिए पर्वतीय राज्यों में वर्तमान आय के मापदण्डों में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाए । • पहाड़ी राज्यों में पर्यटन विकास के लिए विशेष पैकेज दिया जाए । • पर्वतीय राज्यों के लिए दी जाने वाली प्राकृतिक आपदा राहत राशि में वृद्धि की जाए क्योंकि पर्वतीय राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं की सम्भावनाएं अधिक हैं ।
	5.	12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र (पैरा 5.42) स्वयं यह दर्शाता है कि हिमालयी राज्य अपने सीमित वित्तीय साधनों से वनों का संरक्षण कर रहे हैं, जिसका लाभ पूरे राष्ट्र को पहुंच रहा है । अतः इस बात की आवश्यकता है कि इसके बदले पर्वतीय

		राज्यों को विशेष सहायता प्रदान की जाए । एक अनुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश की वन सम्पदा 1.50 लाख करोड़ रू0 की है तथा इसके वैज्ञानिक दोहन से प्रदेश को 1000 करोड़ रू0 प्रतिवर्ष का राजस्व आ सकता है । अपने वनों का कटान न करके हिमाचल प्रदेश अन्य/सीमावर्ती प्रदेशों के पीने के पानी, सिंचाई की आवश्यकता एवं गाद नियन्त्रण आदि में सहायता कर रहा है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण संरक्षण के एवज में हरित लाभांश (Green Bonus) प्रदान किया जाए ।
	6.	जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विशेष श्रेणी राज्यों को यह दर्जा उनके पर्वतीय क्षेत्र होने, सीमित कर आधार (tax base) तथा जनसेवाओं को प्रदान करने में उच्च लागत आने के कारण दिया गया है । परन्तु योजना आयोग तथा वित्त आयोग द्वारा इन राज्यों के राजस्व अन्तर को कभी भी पूरा नहीं किया गया है । वर्ष 1969 में विशेष श्रेणी राज्यों को कुल केन्द्रीय सहायता (NCA) का 30 प्रतिशत हिस्सा चिन्हांकित किया गया था जब इन राज्यों की संख्या केवल 3 थी जो अब बढ़कर 11 हो गई है, लेकिन अभी भी धन का चिन्हांकन वही है । इसके दृष्टिगत गॉडगिल – मुखर्जी formula को अब संशोधित करके 12वीं पंचवर्षीय योजना में विशेष श्रेणी राज्यों के लिए NCA का कम से कम 40 प्रतिशत राशि चिन्हित (earmark) की जानी चाहिए ।

वित्तीय संसाधन	7.	अब मैं, हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित उन मुद्दों को उठाना चाहूंगा जिनपर 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । 13वें वित्त आयोग द्वारा घोषित प्रतिकूल अवार्ड से हिमाचल प्रदेश द्वारा अभी तक प्राप्त की गई उपलब्धियों पर विपरीत असर पड़ा है । 13वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश को 12वें वित्त आयोग के अवार्ड पर केवल 50 प्रतिशत की वृद्धि दी है जबकि अन्य राज्यों की यह वृद्धि 126 प्रतिशत है । वित्त आयोग ने हमारे वेतन, ब्याज तथा पैंशन की प्रतिबद्ध देनदारियों को कम आंका है । वित्त आयोग ने वर्ष 2010–2015 की अवधि में वेतन तथा महंगाई भत्ते को केवल 2 प्रतिशत वार्षिक आंका है जबकि वर्ष 2010 में **DA** की ही वृद्धि 18 प्रतिशत थी तथा वर्ष 2011 में 13 प्रतिशत है । यदि 13वें वित्त आयोग ने अन्य राज्यों के बराबर हमें अनुदान दिया होता तो प्रदेश को वर्ष 2010–15 अवधि में 10725 करोड़ रू0 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती । मैंने अलग से प्रधान मन्त्री महोदय से एक विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि हम अपनी तात्कालिक वित्तीय समस्याओं से उभर सकें ।
	8.	इसके अतिरिक्त 13वें वित्त आयोग ने राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कर्जे को **GSDP** का 3 प्रतिशत पर सीमित कर दिया है जिससे राज्य को 12वीं पंचवर्षीय योजना के पोषण में समस्या आएगी । मैं इस विषय में बताना चाहता हूँ कि राज्यों के संदर्भ

		में वित्त आयोग ने ऋण सीमा का निर्धारण **normative growth** के आधार पर किया है जबकि केन्द्र सरकार द्वारा अपनी ऋण सीमा का निर्धारण सकल घरेलू उत्पाद के बाजार भाव के अनुसार किया है । मेरा यह अनुरोध है कि राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार का मानक एक ही होना चाहिए । हम अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को किस प्रकार पूर्ण करेंगे जबकि न तो हमें पर्याप्त वित्तीय संसाधन दिए जा रहे हैं और न ही पर्याप्त ऋण लेने की अनुमति दी गई है ?
	9.	13वें वित्त आयोग द्वारा प्रतिकूल अवार्ड दिए जाने के अतिरिक्त छठे वेतन आयोग की सिफारिशों ने हमारी वित्तीय व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है । केन्द्र सरकार की सोच है कि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए ही हैं । परन्तु यह सर्वविदित है कि केन्द्रीय वेतन आयोग जो सिफारिशें करता है वह अन्ततः राज्य सरकारों को भी लागू करनी पड़ती हैं । मुद्रा स्फीति का दबाव तथा महंगाई भत्ते की देनदारियों ने राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को और भी गम्भीर बना दिया है ।
विशेष श्रेणी राज्यों के ***finances*** *के लिए ग्रुप का गठन*	10	13वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए अवार्ड से विशेष राज्यों के वित्त प्रबन्धन पर पड़े कुप्रभाव को स्वीकारते हुए योजना आयोग ने विशेष श्रेणी राज्यों की वित्तीय समस्याओं को सुधारने के लिए एक **"Group on Finances of Special Category States"** का गठन किया है जिसने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । मैं योजना आयोग से अनुरोध करूंगा कि जब तक इस रिपोर्ट को

		अन्तिम रूप नहीं दिया जाता तब तक राज्य सरकार को अंतरिम वित्तीय पैकेज उपलब्ध करवाया जाए ।
	11	इस अवसर पर मैं हिमाचल प्रदेश को दिए गए विशेष औद्योगिक पैकेज को वापिस लिए जाने का उल्लेख भी करना चाहूंगा । हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक इकाईयों की स्थापना पर उत्पादन कर में 31 मार्च, 2013 तक छूट दी गई थी जिसे अब 31 मार्च, 2010 तक सीमित कर दिया गया है । इससे राज्य में निवेश की गति प्रभावित हुई है और क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिला है ।
कृषि एवं सम्बद्ध शीर्ष	12.	योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर 4 प्रतिशत प्रस्तावित की है जो प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की व्यापक सम्भावनाएं हैं । 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमें अपना ध्यान लघु एवं सीमान्त किसानों को नई तकनीकों का लाभ प्रदान करने एवं विपणन व्यवस्था को सुधारने पर केन्द्रित करने की आवश्यकता होगी । हिमाचल प्रदेश में लघु एवं मध्यम किसान बहुतायत में हैं जिनकी फसलों को जंगली जानवरों द्वारा बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है । अतः उचित होगा कि ''कृषि सुरक्षा'' को मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया जाए । इस विषय को हमने ग्रामीण विकास मन्त्रालय से भी उठाया है । 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं के लिए एक विशेष अनुदान बीमा योजना की सम्भावना को तलाशा जाए तथा राज्यों

		को कृषि उत्पादन के भण्डारण एवं विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं । मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए मनरेगा कार्यक्रम में सुधार लाने हेतु कुछ और सुझाव भी देना चाहता हूँ । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 रखा गया है जो कि पहाड़ी राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है । मेरा यह अनुरोध है कि पहाड़ी राज्यों के लिए इस अनुपात को 40:60 किया जाना चाहिए । इससे एक तरफ तो ग्रामीण स्तर पर स्थाई सामुदायिक परिसम्पतियों निर्मित होंगी तथा दूसरी तरफ धनराशि के दुरूपयोग पर भी रोक लगेगी । मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 दिनों के रोजगार में बढ़ौतरी की जाए । आप सभी सहमत होंगे कि जिस परिवार ने 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया है वही परिवार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त रोजगार का जरूरतमन्द है । मेरा यह भी सुझाव है कि अगर हम इस अतिरिक्त रोजगार के लिए पूर्ण जनसंख्या को cover न कर सकें तो कम से कम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए 100 दिनों के रोजगार सीमा को बढ़ा देना चाहिए । मनरेगा कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में ग्रामीण रास्ते बनाने का कोई प्रावधान नहीं है । हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में हर बस्ती को सड़क से जोड़ना सम्भव नहीं है । मेरा यह अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने के लिए ग्रामीण रास्तों के निर्माण को भी सम्मिलित किया जाए ।

	13.	हमने ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'' में धन के आबंटन के मापदण्ड **(criteria)** को बदलने की भी मांग उठाई है । कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर हमारा योजना निवेश 11-12 प्रतिशत है जोकि अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है । मेरा योजना आयोग से अनुरोध है कि जो राज्य कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं में अपने कुल योजना परिव्यय का 10 प्रतिशत से अधिक भाग व्यय करते हैं उन्हें इस व्यय का 50 प्रतिशत आबंटन ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'' के अन्तर्गत किया जाए ।
सिंचाई	14.	हिमाचल प्रदेश की कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती है । हम **AIBP** कार्यक्रम का सम्पूर्ण लाभ लेने में सक्षम नहीं हुए हैं क्योंकि इसका प्रति हैक्टेयर लागत मापदण्ड 1.50 लाख रू0 है जबकि प्रदेश में इसकी वास्तविक लागत लगभग 3 से 4 लाख रू0 आती है । इसी प्रकार लघु सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने की अवधि दो वर्ष है जो कि प्रदेश की विकट भौगोलिक परिस्थितियों तथा सीमित कार्य अवधि के दृष्टिगत पर्याप्त नहीं है । अतः मेरा आग्रह है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहाड़ी राज्यों के लिए लागत मानक 1.50 लाख रू0 से बढ़ाकर 4.00 लाख रू0 एवं समयावधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष किया जाए ।

पर्यटन	15.	मुझे प्रसन्नता है कि दृष्टिकोण पत्र में गरीबी हटाने के उद्देश्य से पर्यटन विकास को 12वीं पंचवर्षीय योजना में महत्व दिया गया है । इसके अन्तर्गत ढांचागत सुविधाओं जैसे सड़कों, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज तथा कूड़ा प्रबन्धन की आवश्यकताओं पर बल देने की आवश्यकता है । दृष्टिकोण पत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवहन क्षेत्र के विकास को चिन्हित किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश अभी तक पिछड़ा हुआ है । प्रदेश में अभी तक कोई भी ऐसा हवाई अड्डा नहीं है जहां वर्ष भर नियमित हवाई सेवा प्रदान की जा सके । मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने का प्रावधान किया जाए । उत्तर पूर्व की तरह हिमाचल प्रदेश में हैली टैक्सी सेवाओं को भी उपदान दिया जाए ताकि स्थानीय लोगों के साथ – साथ पर्यटक भी इसका लाभ उठा सकें ।
	16.	प्रदेश में रेल विस्तार लगभग नगण्य है । स्वतन्त्रता के पश्चात प्रदेश में केवल 44 किलोमीटर रेल लाईन निर्मित की गई है । नंगल –तलवाड़ा रेल लाईन निर्माण की गति अति धीमी है । भानूपल्ली – बिलासपुर – बेरी रेल लाईन के वित्तीय प्रबन्धन के बारे में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है । अन्य दो परियोजनाएं जैसे बद्दी – कालका तथा बिलासपुर – लेह वाया मनाली रेल लाईन, रेल मन्त्रालय की अनदेखी के कारण लटकी

		हुई हैं । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन चारों रेल लाईनों के विस्तार को पर्यटन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत उचित धनराशि देकर 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्मित किया जाए ।
परिवहन	17.	दृष्टिकोण पत्र में राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग तथा जिला सड़कों को बनाने पर बल दिया गया है । हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन यातायात का एकमात्र साधन है तथा पहाड़ी प्रदेश होने के कारण निजि बस चालक उच्च लागत तथा कम आय के कारण बसें चलाने में संकोच करते हैं क्योंकि बसों की औसत आयु भी पहाड़ी प्रदेशों में कम होती है । इसलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी राज्यों में बसों की **replacement** के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ।
सड़कें	18.	पर्वतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण की लागत अन्य राज्यों की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक होती है । प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत अतिरिक्त सड़कों के निर्माण की गति आशानुरूप नहीं है । सड़कें पहाड़ी प्रदेशों की जीवन रेखा होती है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्गो के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए । इसी प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजना में **Central Road Fund** में भी धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए ।
	19.	''प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना'' का हिमाचल प्रदेश को उतना लाभ नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था । यह इसलिए है क्योंकि राज्य का अधिकांश क्षेत्र वनों के अधीन है तथा वनों के कटान के लिए राज्य

		सरकार को **Net Present Value (NPV)** की लागत अपने संसाधनों से जमा करवानी पड़ती है । हमने भूतल परिवहन मन्त्रालय से इस बारे अनुरोध किया है कि वह प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना में **NPV** को परियोजना लागत का भाग बनाएं । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की इस न्यायोचित मांग पर निर्णय लिया जाए ।
ऊर्जा क्षेत्र	20.	दृष्टिकोण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सकल घरेलू उत्पाद की 9 प्रतिशत दर प्राप्त करने के लिए बिजली आपूर्ति की दर को 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ाना होगा । पन – बिजली, ऊर्जा उत्पादन का सबसे पर्यावरण मित्र साधन है । हिमाचल प्रदेश में 23000 मैगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है जिसमें से 6728 मैगावाट क्षमता का दोहन किया गया है तथा 2000 मैगावाट पन बिजली का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर लिया जाएगा । प्रदेश की सभी बिजली परियोजनाएं नदियों के पानी पर निर्मित हैं जिससे कम से कम वातावरण दूषित होता है तथा आवासीय आबादियां भी कम विस्थापित होती हैं । हम 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9155 मैगावाट बिजली का और उत्पादन करना चाहते हैं । यह तभी सम्भव होगा जब भारत सरकार एक निश्चित समयावधि में सभी परियोजनाओं को वन तथा पर्यावरण स्वीकृतियां प्रदान करे जिससे परियोजनाओं की समय अवधि व लागत में वृद्धि न हो । भारत सरकार ने हाल ही में एक तदर्थ एवं एकतरफा शर्तें लगा दी है जिसमें आबंटित की जा चुकी विद्युत परियोजनाओं पर भी

		riparian distance, पानी का न्यूनतम छोड़ा जाना तथा विस्तृत नदी घाटी अध्ययन आदि किया जाना आवश्यक कर दिया है जिससे परियोजना निर्माताओं में आक्रोश है । मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय में बिना निश्चित नीति निर्धारित किए पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों को नहीं रोका जाना चाहिए । भारत सरकार को बिजली उत्पादन करने वाली केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को भी राज्य द्वारा बिजली परियोजनाओं की निविदाओं में भाग लेने देना चाहिए तथा उत्पादित बिजली वितरण के लिए **basin wise** नीति का निर्धारण करके ***PGCIL*** का वित्त पोषण किया जाना चाहिए । पर्वतीय राज्य होने के कारण प्रदेश का संसाधन आधार सीमित है । इस आधार को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने **"The Himachal Pradesh Electricity (Taxation on Generation) Bill, 2011** पारित किया है जिसे महामहिम राष्ट्रपति महोदया को 31.05.2011 को स्वीकृति के लिए भेजा गया है । मैं आग्रह करूंगा कि इसे शीघ्र अनुमोदित किया जाए ।
शिक्षा एवं दक्षता उन्नयन	21.	दृष्टिकोण पत्र में शिक्षा के क्षेत्र में निजि एवं सार्वजनिक भागीदारी में उचित संतुलन बैठाया गया है । योजना आयोग द्वारा शिक्षा क्षेत्र के लिए **"not for profit"** के सिद्धांत पर पुर्नविचार करना एक उचित कदम है । उच्च शिक्षा में गुणवता तथा योग्यता को अधिमान देना आवश्यक है । हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा में शतप्रतिशत **enrolment** है । प्रदेश सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत

		अच्छी उपलब्धि हासिल की है । केन्द्र सरकार को अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने वाले प्रदेशों को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को + 2 स्कूल स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए । शिक्षा पाठ्यक्रम को संशोधित करके रोजगारोन्मुखी बनाने की आवश्यकता है । राज्य के विश्वविद्यालय तथा कालेजों में दाखिला बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं । 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन संस्थानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ उचित ढांचागत सुविधाएं तथा कम्पयूटर शिक्षा का प्रसार करने के लिए एक वृहद योजना शुरू करनी चाहिए । मेरा अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश में 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक आई0आई0एम0 संस्थान स्थापित किया जाए । हमने शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक - निजि भागीदारी विकसित करने का प्रयास किया है । हमने **H.P. Private Educational Institutions Regulatory Commission** स्थापित किया है ताकि इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके । प्रदेश में एक तकनीकी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है ताकि व्यवसायिक संस्थानों को बढ़ावा मिल सके । प्रदेश सरकार ने दक्षता उन्नयन कार्यक्रम बनाया है जिसके लिए अधिक वित्तीय निवेश की आवश्यकता है । मैं योजना आयोग से अनुरोध करूंगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र वित्त पोषित दक्षता उन्नयन कार्यक्रम शुरू किए जाएं और इसके लिए राज्यों को उदार वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ।

Governance & Innovation	22.	प्रशासन में सुधार करने के दृष्टिगत **Result Framework Document** की पद्धति अपनाई गई है जिससे प्रदेश के सभी विभागों की कार्यपद्धति का मूल्यांकन किया जाएगा । प्रदेश सरकार ने हाल ही में **The Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act 2011** बनाया है जिसमें नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान है । 12वीं पंचवर्षीय योजना में पंचायत स्तर तक **State Wide Area Networks** को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ।
	23.	मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा उठाए गए विषयों पर विचार किया जाएगा तथा सुझावों को 12वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाएगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय प्रधान मन्त्री तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया । जय हिन्द ।